



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2010/चैत्र 26, 1932

No. 99]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2010/CHAITRA 26, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2010

सं. भा.आ.प. 203(9)/2010-रजि./3494.—भारतीय

आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "किसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में किसी स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता शर्तें विनियमावली, 2002" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. इन विनियमों को "किसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में किसी स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता शर्तें (संशोधन) विनियमावली, 2010" कहा जाए।
2. वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. "किसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में किसी स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता शर्तें विनियमावली, 2002" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे।
4. खण्ड 9 में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :—
"बशर्ते कि उसने चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए, पाठ्यक्रम की पूरी अवधि में विदेश में स्थित उसी संस्थान में अध्ययन किया हो, जहां से उसने डिग्री प्राप्त की है।"

ले. क. (से. नि.) डा. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/100/10/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः "किसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में किसी स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला लेने हेतु पात्रता शर्तें विनियमावली, 2002" भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 18 फरवरी, 2002 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22 फरवरी, 2002 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2010

No. MCI. 203(9)/2010-Regn./3494.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Eligibility Requirement for taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002" namely :—

1. These regulations may be called the "Eligibility Requirement for taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution (Amendments) Regulations, 2010".
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the "Eligibility Requirement for taking admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002" the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be, as indicated therein.
4. The following proviso shall be added to clause 9 :—
"Provided that he/she has studied for the medical course at the same institute located abroad for the entire duration of the course from where he/she has obtained the degree."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT.-III/4/100/10/Extry.]

Foot Note : The Principal Regulations namely "Eligibility Requirement for taking Admission in an Undergraduate Medical Course in a Foreign Medical Institution Regulations, 2002" were published on 18th February, 2002 in Part III, Section 4 of the Gazette of India and amended vide Medical Council of India Notification dated the 22nd February, 2002.